



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269038
CG-DL-E-02012026-269038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5908]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5908]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6108(अ).— केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है:

I. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:

- कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय

II. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य:

- अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
- निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

III. धारा 4 के खंड (ड) के तहत सदस्य:

- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
- मुख्य सचिव, बिहार सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति

- iii. डॉ. सिद्धार्थ दत्ता गुप्ता, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (पैथोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
- iv. डॉ. जे. बी. शर्मा, प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं प्रमुख, प्रसूति एवं स्त्री रोग, यशोदा मेडिसिटी, गाज़ियाबाद

IV. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य:

- i. डॉ. विक्रम केट, डीन (अकादमिक), जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी
- ii. डॉ. राधिका श्रीनिवासन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (साइटोलॉजी एवं स्त्रीरोग), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
- iii. डॉ. निगहत हुसैन, प्रोफेसर (पैथोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर

2. तदनुसार, संस्थान निकाय की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम/पद	टिप्पणियाँ
धारा के खंड 4(क) के तहत सदस्य :		
1.	कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय	
धारा के खंड 4(ख) के तहत सदस्य :		
2.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	पदेन सदस्य
धारा के खंड 4(ग) के तहत सदस्य :		
3.	संस्थान के निदेशक	पदेन सदस्य
धारा के खंड 4(घ) के तहत सदस्य :		
4.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि	
5.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि	
धारा के खंड 4(ङ) के तहत सदस्य :		
6.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
7.	मुख्य सचिव, बिहार सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
8.	रिक्त	
9.	डॉ. सिद्धार्थ दत्ता गुप्ता, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (पैथोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	
10.	डॉ. जे. बी. शर्मा, प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं प्रमुख, प्रसूति एवं स्त्री रोग, यशोदा मेडिसिटी, गाज़ियाबाद	
धारा के खंड 4(च) के तहत सदस्य :		
11.	डॉ. विक्रम केट, डीन (अकादमिक), जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी	
12.	डॉ. राधिका श्रीनिवासन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (साइटोलॉजी एवं स्त्रीरोग), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	
13.	डॉ. निगहत हुसैन, प्रोफेसर (पैथोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर	

14.	डॉ. राधा कृष्ण धीमान संस्थान निकाय के अध्यक्ष	14.08.2025 को जारी का .आ . 3773(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी-एल.डी-जी. -अ20082025-265529 के तहत प्रकाशित
धारा के खंड 4(छ) के तहत सदस्य :		
15.	श्री तारिक अनवर, संसद सदस्य, लोक सभा	13.01.2025 को जारी का .आ .257(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी-अ-एल.डी-जी. 15012025- 260240 के तहत प्रकाशित
16.	श्री रवि शंकर प्रसाद, संसद सदस्य, लोक सभा	
17.	श्री सतीश चंद्र दूबे, संसद सदस्य, राज्य सभा	28.12.2023 को जारी का .आ . 5479(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी-एल.डी-जी. -अ 30122023-250967 के तहत प्रकाशित

3. सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. Z-28016/177/2019-PMSSY.IV-पार्ट (1)(8046724)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2025

S.O. 6108(E).— In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as members of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Patna :**

I. Member under clause (a) of Section 4:

- i. Vice-Chancellor, Nalanda University

II. Members under clause (d) of Section 4:

- i. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance
- ii. Director, Indian Institute of Technology, Patna – Representative of Ministry of Education

III. Members under clause (e) of Section 4:

- i. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee
- ii. Chief Secretary, Government of Bihar or his/her nominee
- iii. Dr. Siddharth Datta Gupta, Ex. Professor & HoD (Pathology), AIIMS, New Delhi
- iv. Dr. J. B. Sharma, Principal Director and Head, Obs. & Gyn., Yashoda Medicity, Ghaziabad

IV. Members under clause (f) of Section 4:

- i. Dr. Vikram Kate, Dean (Academic), JIPMER, Puducherry
- ii. Dr. Radhika Srinivasan, Prof. & HoD (Cytology & Gynaecology), PGIMER, Chandigarh
- iii. Dr. Nighat Hussain, Professor (Pathology), AIIMS, Raipur

2. Accordingly, the current composition of the Institute Body is as under :

S.No.	Name/Designation of the Member	Remarks
Member under clause (a) of Section 4:		
1.	Vice-Chancellor, Nalanda University	
Member under clause (b) of Section 4:		
2.	Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India	<i>Ex-officio</i>
Member under clause (c) of Section 4:		
3.	The Director of the Institute	<i>Ex-officio</i>
Member under clause (d) of Section 4:		
4.	Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance	
5.	Director, Indian Institute of Technology, Patna – Representative of Ministry of Education	
Member under clause (e) of Section 4:		
6.	Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee	
7.	Chief Secretary, Government of Bihar or his/her nominee	
8.	Vacant	
9.	Dr. Siddharth Datta Gupta, Ex. Professor & HoD (Pathology), AIIMS, New Delhi	
10.	Dr. J. B. Sharma, Principal Director and Head, Obs. & Gyn., Yashoda Medicity, Ghaziabad	
Member under clause (f) of Section 4:		
11.	Dr. Vikram Kate, Dean (Academic), JIPMER, Puducherry	
12.	Dr. Radhika Srinivasan, Prof. & HoD (Cytology & Gynaecology), PGIMER, Chandigarh	
13.	Dr. Nighat Hussain, Professor (Pathology), AIIMS, Raipur	
14.	Dr. Radha Krishan Dhiman President of the Institute Body	Nominated vide S.O. 3773(E) dated 14.08.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-20082025-265529
Member under clause (g) of Section 4:		
15.	Shri Tariq Anwar, Member of Parliament, Lok Sabha	Nominated vide S.O. 257(E) dated 13.01.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-15012025-260240
16.	Shri Ravi Shankar Prasad, Member of Parliament, Lok Sabha	
17.	Shri Satish Chandra Dubey, Member of Parliament, Rajya Sabha	Nominated vide S.O. 5479(E) dated 28.12.2023, published under Gazette ID No. CG-DL-E-30122023-250967

3. The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/177/2019-PMSSY.IV-Part(1)(8046724)]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.